बिहार सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

(अधिसूचना संख्या 6067 दिनांक 07.11.2014 का शुद्धि पत्र)

संख्या- स्था0-42/94 परि0- 7067 पटना, दिनांक- 26/12/2014

विभागीय अधिसूचना संख्या स्था0-42/94 परि0-6067 दिनांक 07.11.2014 द्वारा मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (एक्ट नम्बर-59 ऑफ 1988) के धारा-68 की उपधारा (1) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (2) की द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के अंतर्गत सभी नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारो का गठन किया गया था । उक्त अधिसूचना की अनुसूची के क्रमांक-9 पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर के सामने के स्तम्भ-3 में अध्यक्ष के रूप में प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर के बदले टंकण भूलवश प्रमंडलीय आयुक्त, मगध अंकित हो गया था । अतएव क्रमांक-9 पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर के सामने के स्तम्भ-3 में अध्यक्ष के रूप में प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर समझा जायेगा ।

2. तदनुसार विभागीय अधिसूचना संख्या स्था0-42/94 परि0-6067 दिनांक 07.11.2014 की अनुसूची के क्रमांक-9 को निम्नवत् संशोधित किया जाता है -

क्रम सं.	प्राधिकार का नाम	क्षेत्र और मुख्यालय	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष/सचिव एवं सदस्यगण
9	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर	सम्पूर्ण मुंगेर प्रमंडल मुख्यालय	1. प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर- अध्यक्ष 2. संयुक्त आयुक्त सह सचिव- सदस्य सचिव 3. श्री ब्रज किशोर कुमार-गैर सरकारी सदस्य, पिता- स्व. भागीरथ प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0- बड़हिया, वार्ड नं.-1(महिला कॉलेज के पास), जिला- लखीसराय

3. विभागीय अधिसूचना संख्या स्था0-42/94 परि0-6067 दिनांक 07.11.2014 की शेष सभी अनुसूची एवं शर्त्तें पूर्ववत् रहेंगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के अपर सचिव,

बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- स्था0-42/94 परि0- 7067 / पटना, दिनांक- 26/12/2014

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा-उप सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि गजट की 100 प्रतियाँ कार्यालय व्यवहारार्थ कृपया प्रेषित की जाय ।

सरकार के अपर सचिव,

बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- स्था0-42/94 परि0- 7067 / पटना, दिनांक- 26/12/2014

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार/ सदस्य, राजस्व पर्षद-सह-अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, सभी विभाग, बिहार, पटना/ माननीय मंत्री, परिवहन के आप्त सचिव/प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सभी गैर सरकारी सदस्य, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी विभागीय पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, परिवहन विभाग/ सभी संयुक्त आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/ सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/ सभी मोटरयान निरीक्षक/ सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/ रक्षित संचिका/स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव,

बिहार, पटना ।